

दिनांक : 14 दिसंबर, 2005

## अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा के लिए लाइसेंस जारी किए गए दिशा-निर्देश सं० 10-5/99 बीएस-1 (खंड-II) के अधिक्रमण में, भारत में राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा (एनएलडी) के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु आज की तारीख तक सभी संशोधन शामिल करते हुए व्यापक दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं :

1. आवेदक, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक भारतीय कंपनी होनी चाहिए।
2. आवेदक कंपनी अपना आवेदन निर्धारित फार्म में प्रस्तुत करेगी।
3. आवेदक कंपनी एनएलडी सेवा के लिए केवल एक ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है।
4. एनएलडी सेवा के प्रचालन हेतु लाइसेंस गैर-एकल आधार पर आरंभ में 20 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा और भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर अंतर्सर्किल लंबी दूरी प्रचालनों के लिए एक समय में 10 वर्ष के लिए विस्तारणीय होगा।
- 5.0 कुल संयुक्त विदेशी धारिता, जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी), अमरीकी डिपॉजिटरी रिसीट (एडीआर), ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट (जीडीआर), परिवर्तनीय प्रैफरेंस शेयर, भारतीय प्रवर्तक/निवेशक कंपनियों और उनकी नियंत्रक कंपनियों में सानुपातिक विदेशी निवेश इत्यादि जैसे निवेश शामिल हों, किंतु केवल इन्हीं तक सीमित न हो, तथा जिसे अब के बाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) कहा जाएगा वह 74 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। 74 प्रतिशत विदेशी निवेश प्रचालक कंपनी में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी नियंत्रक कंपनी के माध्यम से किया जा सकता है और शेष 26 प्रतिशत का स्वामी निवासी भारतीय नागरिक, अथवा कोई भारतीय कंपनी (अर्थात् विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और इसका प्रबंधन भारतीय स्वामियों के हाथ में होगा) होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी भारतीय कंपनी के आनुपातिक घटक की भी 74% की अधिकतम सीमा के लिए गणना की जाएगी। तथापि, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों की कुल धारिता में विदेशी घटक को "भारतीय" धारिता माना जाएगा। लाइसेंसधारक द्वारा ऐसी विदेशी धारिता की स्थिति का खुलासा करना, और यह प्रमाणित करना अपेक्षित होगा कि विदेशी निवेश अर्द्धवार्षिक आधार पर 74% की अधिकतम सीमा के भीतर है।
- 5.1 अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सहित बोर्ड के अधिसंख्यक निदेशक निवासी भारतीय नागरिक होंगे। इन पदों पर निवासी भारतीय नागरिकों की नियुक्ति इच्छुक भारतीय निवेशकों के साथ परामर्श से की जाएगी। इच्छुक निवेशकों की परिभाषा नीचे पैरा 5.6(ii) में दी गई है।

- 5.2 शेरर धररकर कररररर (एसएचए) डें यह शरत वरशेष रूप से शररडरल करी करएगी कर अधररर, डुरंडर नरदेशकर, और डुरखर करररकररी अधररकररी (सीईओ) सहरत डरर्ड के अधरसंखरकर नरदेशकर नरवरसी डररररी नरगररर डरंगे और इसडें लरइसेंस कररर करी शरतों के अनुडरलन कररने कर डी डुररवधरन डरंगर।
- 5.3 49% तक वरदेशी डुरतुकर नरवेश सुवरडरवकर रूप से कररी रहेगर। लरइसेंसी करंडनी/डरररी डुरवरतकरों/नरवेश करंडनरररर और इनकी डरलुडरंग करंडनरररर डें तड वरदेशी डुरतुकर नरवेश के लरए वरदेशी नरवेश संवरधन डरर्ड कर अनुडरदन अपेकरत डरंगर डड 74% की इनकी सडड उकुकतड सीडर डर डुरडरव डडने वरलर डर। नरवेशी डुरसुतारवों कर अनुडरदरत कररते सडड, वरदेशी नरवेश संवरधन डरर्ड इसकर धरन रखेगर कर नरवेश शतुर ररषुतुरों से नहीं डर रहे डर।
- 5.4 वरदेशी नरवेश संवरधन डरर्ड डुररर नरवेश अनुडरदन डें इस शरत कर धरन ररखर करएगर कर करंडनी लरइसेंस सडडडुरते कर डरलन करेगी।
- 5.5 वरदेशी डुरतुकर नरवेश डर डररत के करनून लरगू डरंगे न कर वरदेशी ररषुतुर/ररषुतुरों के करनून।
- 5.6 (i) लरइसेंस डें एक सरुवडरर खंड डरंगर डर कुकुर नरशुकरत नरधरररत डररररररररररर डें लरइसेंस कर रद कररने की शकरत लरइसेंस डुरदरतर कर डुरदत करेगर।
- (ii) यह सुनरशुकरत कररने के लरए कर करड से करड एक गंडीर डरररी डुरवरतकर नरवरसी डरररी अंशधरररतर की सडुकरत डरतरर की खरीद करे, ऐसे नरवरसी डरररी डुरवरतकर कर लरइसेंसधररकर करंडनी की करड से करड 10% इकुवरती ररखनी डरगी।
- (iii) करंडनी लरइसेंस कररर कर करंडनी के संगड डुररडन के हररसे के रूप डें सुवीकर करेगी। लरइसेंस कररर कर कररसी डी रूप डें उलुलंडन कररने डर करंडनी इस संडंड डें अपनर कुई डी कररर कररने डें सुवरत: डी असडरुथ डर करएगी। लरइसेंस कररर के अनुडरलन कर दरररतुवर संसुथर के संगड डुररडन कर डी एक हररसुत डरंगर।
- (iv) डुरखर तकनीकी अधररकररी (सीटीओ)/डुरखर वरतु अधररकररी (सीएफओ) नरवरसी डरररी नरगररर डरंगे। नरवरसी डरररी नरगररररर डुररर धरररत करए करने वरले अनुख डुरखर डुरदों कर डी लरइसेंसदरतर अधरसूकुरत कर सकतर डर।
- (v) करंडनी डररत के डरहर कररसी वुकरतु/सुथरन डर नरडुनलरखरत कर हरसुतुररररत नहीं करेगी :-
- (क) उडडडुकरत से संडंडरत कुई लेखर संडंडी सूकुरनर (रुडरंग/डरलररंग के अतररररररर)
- (नरुत : यह वरतुती ड सुवररुड की सूकुरनर के सररवरधरकर रूप से अपेकरत डुरकरतीकरण डर रुक नहीं लगरती);
- (ख) डुरडुकरत संडंडी सूकुरनर (रुडरंग के सडड डरररी डुरकररलकर के नेटवरक कर डुरडुकरत कररने वरले वरदेशी उडडडुकरत से संडंडरत सूकुरनर कर डुरेडुकर); और
- (ग) दुरसंडरर उडडरकररों के आडुररुतकरतरररर/वरनररुडरतरररर डर लरइसेंसधररकर करंडनी की अवरसुथरडनर सुवरधर की संसुथरडनर कुरलू कररने इतुडरदर कर कररर कररते डें; कर डुरेडुकर, डुरर-डुरकरतीकरण संडंडी कररर डर हरसुतुरकर कररने डर उनकी अवरसुथरडनर/नेटवरक डुररडुररड कर डुरीर।
- (vi) करंडनी डड डररत के डरहर सेवर डुरदरतररररों के सरथ रुडरंग सुवरधर संडंडी कररर कररती डर तू डर डरंग डर, ऐसे डुरडुकरतररररों की सूकुरी (टेलीडुन नंडर, डद वरदेशी उडडडुकरत रुडरंग के सडड डरररी डुरकररलकर के नेटवरक कर डुरडुकरत कर रहे डर) वर अवरसुथ डुरदरन करे।
- (vii) करंडनी अपने उडडडुकरतररररों की डतर लगरने डुरगुड डरहकुरन अवरसुथ उडडलडुध करररं। तथरडर, वरदेशी करंडनररररों के रुडरंग उडडडुकरत कर सेवर उडडलडुध कररने के डरडले डें, डरररी डुरंडनी रुडरंग कररर के हररसे के रूप डें वरदेशी करंडनी से रुडरंग उडडडुकरत की डतर लगरने डुरगुड डरहकुरन डुररडुत कररने कर डुरररस करेगी।

- (viii) भारत के भीतर उपभोक्ताओं से भारत के भीतर उपभोक्ताओं को किया जाने वाला कोई परियात (मोबाइल और लैंड लाइन) भारत के बाहर किसी स्थान को स्थांतरित नहीं किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु घरेलू परियात के लिए भारत को सेवा प्रदान कर रहे उपग्रहों की अवस्थिति को भारत के बाहर का स्थान नहीं माना जाएगा।
- (ix) लाइसेंसधारक द्वारा किसी अनुक्षण/मरम्मत हेतु देश के बाहर किसी उपस्कर विनिर्माता अथवा किसी अन्य एजेंसी को कोई दूरस्थ अभिगम (आरए) प्रदान नहीं किया जाएगा। तथापि, सॉफ्टवेयर में भयंकर ऐसी खराबी (जैसे बूटअप इत्यादि संबंधित खराबी), जिससे लंबी अवधि के लिए नेटवर्क का प्रमुख भाग बेकार हो जाए, को ठीक करने के लिए दूरस्थ अभिगम की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि, निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं :-
- (क) जब आरए प्रदान किया जाना हो तो एक चिन्हित सरकारी एजेंसी (सतर्कता ब्यूरो) को अधिसूचित किया जाएगा।
  - (ख) दूरस्थ अभिगम पासवर्ड को केवल एक निश्चित अवधि हेतु चालू किया जाए तथा यह केवल मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) विक्रेताओं के पूर्व-अनुमोदित स्थलों से अभिगम हेतु ही हो तथा विशेषरूप से केवल मरम्मत/रखरखाव के अंतर्गत आने वाले उपस्करों हेतु हो।
  - (ग) दूरस्थ अभिगम का नियंत्रण अर्थात् सक्रियण, डाटा का हस्तांतरण, समाप्ति आदि दूरस्थ स्थान, विदेश में नहीं बल्कि देश के भीतर ही होगा।
  - (घ) ऑन-लाइन मॉनिटरिंग हेतु परियात का रिकार्ड करने के लिए सरकारी एजेंसी को भी सहायता प्रदान की जाए।
  - (ङ) कोई भी उपस्कर या सॉफ्टवेयर जो समग्र मॉनिटरिंग का भाग है, के किन्हीं भी परिस्थितियों में दूरस्थ अभिगम की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  - (च) इस खंड के अंतर्गत प्रयोग किए गए सॉफ्टवेयर में भयंकर खराबी, नेटवर्क का बड़ा भाग और दीर्घ अवधि जैसी शब्दावली को समय-समय पर लाइसेंसदाता द्वारा परिभाषित किया जाएगा।
- (x) लाइसेंसदाता को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में लाइसेंसधारी कंपनी के संचालन-कार्य को सीमित करने की छूट होगी।
- (xi) वॉइस और डाटा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए केवल केन्द्रीय गृह सचिव या राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के गृह सचिवों के प्राधिकारी द्वारा ही मॉनिटरिंग की जाएगी।
- (xii) लाइसेंसधारी कंपनी, परियात की मॉनिटरिंग हेतु, सुरक्षा एजेंसियों को लेखा बहियों के साथ-साथ अन्य सुविधाएं तथा अपने नेटवर्क का समस्त अभिगम प्रदान करेगी।
- (xiii) पैरा 5.6 में निहित लाइसेंस शर्तों का अनुपालन न करने पर कंपनी को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त मान लिया जाएगा तथा लाइसेंसदाता को निष्पादन/वित्तीय बैंक गारंटी(यों) को भुनाने का अधिकार होगा तथा लाइसेंसदाता किसी भी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 5.7 उपरोक्त पैरा 5.0 से 5.6 की शर्तें, दूरसंचार सेवाओं का प्रचालन करने वाली ऐसी मौजूदा कंपनियां, जिनकी 49 प्रतिशत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्षमता है, पर भी लागू होंगी।
6. अभिगम सेवाओं तथा लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्रों के लिए दूरसंचार सेवा क्षेत्रों की सूची क्रमशः अनुबंध-I और II में दी गई है।

7. आवेदक कंपनी लाइसेंस को हस्ताक्षरित करने से पूर्व, वेतन और लेखा अधिकारी (मुख्यालय), दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली के नाम से नई दिल्ली में देय मांग ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 2.5 करोड़ रु0 के एकबारगी अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क का भुगतान करेगी।
8. आवेदक कंपनी धन की व्यवस्था के साथ कार्यक्रम-योजना भी प्रस्तुत करेगी।
9. आवेदक कंपनी राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) हेतु अपने स्वयं के इंतजाम करेगी। तथापि, केंद्र सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग-III के प्रावधान के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा लाइसेंसधारियों को तार लाइनें संस्थापित करने में समर्थ बनाने हेतु, अनुरोध पर, आवश्यक अधिसूचना जारी करेगी। बशर्ते कि राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) की अनुपलब्धता या किसी एजेंसी से अनुमति/क्लियरेंस मिलने में हुए विलंब को रॉल-आउट दायित्वों के पूरा न होने के संबंध में एक कारण के रूप में नहीं लिया जाएगा या उसे इस अर्थ में नहीं लिया जाएगा।
10. आवेदन की तारीख पर आवेदक कंपनी का निवल मूल्य और प्रदत्त पूंजी कम से कम 2.5 करोड़ रु0 की होगी। लाइसेंस के लिए आवेदक के साथ इस संबंध में कंपनी सचिव/कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। निवल मूल्य का तात्पर्य इक्विटी पूंजी का भारतीय रु0 में जोड़ एवं मुक्त (फ्री) रिजर्व से है। इस प्रयोजनार्थ कंपनी के निवल मूल्य के निधारणार्थ प्रवर्तकों का निवल मूल्य नहीं गिना जाएगा।
11. लाइसेंस के प्रचलन के दौरान प्रदत्त पूंजी के साथ-साथ न्यूनतम निवल मूल्य को बनाए रखना होगा।
12. ऊपर वर्णित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त यूएसओ अंशदान सहित समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 15% वार्षिक लाइसेंस शुल्क देय होगा। 01.01.2006 से यूएसओ अंशदान सहित लाइसेंस शुल्क एजीआर का 6% होगा। लाइसेंस शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान चार तिमाही किस्तों में किया जाएगा। लाइसेंसधारक द्वारा वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों के लाइसेंस शुल्क की त्रैमासिक किस्तों का भुगतान वर्ष की संबद्ध तिमाही के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर करना होगा। लाइसेंसधारक द्वारा इस लाइसेंस शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि द्वारा शपथ-पत्र के साथ विधिवत प्रमाणित करके, बोर्ड संकल्प द्वारा प्राधिकृत सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ तिमाही के लिए वास्तविक राजस्व (प्राप्ति आधारित) के आधार पर करना होगा। तथापि, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लाइसेंस शुल्क का भुगतान तिमाही के लिए प्रत्याशित राजस्व के आधार पर 25 मार्च तक करना होगा, बशर्ते न्यूनतम भुगतान पिछली तिमाही के लिए अदा किए गए राजस्व हिस्से के बराबर हो, उपर्युक्त देय तिथियों के पश्चात विलंबित भुगतान के लिए लाइसेंस में की गई विलंब संबंधी भुगतानों के लिए निर्धारित शास्ति लागू होंगी। लाइसेंसधारक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए किए गए भुगतान और प्राप्ति आधारित विधिवत वास्तविक देय का समायोजन करके इसके अंतर की धनराशि को उपयुक्त तिमाही के समाप्ति के 15 दिन के भीतर भुगतान करेगा। लाइसेंस प्रदाता को लाइसेंसधारक के बही खातों के निरीक्षण करने के अतिरिक्त भुगतान की गई लाइसेंस शुल्क की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षा करवाने का भी अधिकार होगा।
13. उपर्युक्त के अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के प्रयोग और बेतार टेलीग्राफी उपस्कर को रखने के लिए शुल्क/रॉयल्टी बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध द्वारा दिए गए ब्यौरों और विनिर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अलग से देय होगी। स्पेक्ट्रम प्रयोग/बेतार टैलीग्राफी उपस्कर रखने के लिए शुल्क/रॉयल्टी फ्रीक्वेंसी होप और लिंक की लंबाई प्रचालन का क्षेत्र इत्यादि जैसे अनेक तथ्यों पर निर्भर करती है।

14. आवेदक कंपनी लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक वर्ष बाद या सेवा आरंभ होने से पहले, इनमें से जो भी पहले हो लाइसेंस करार पर दिए गए निर्धारित प्रपत्र में 20 करोड़ रु0 की वित्तीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगी। आरंभ में यह वित्तीय बैंक गारंटी एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी तथा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट राशि के लिए समय-समय पर इसका नवीकरण किया जाएगा।
15. स्पेक्ट्रम के उपयोग और बेतार टेलीग्राफी उपस्कर के अधिग्रहण के लिए देयताएं/शुल्क/रॉयल्टी को इतनी ही राशि की वित्तीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करके अलग से प्रतिभूत किया जाएगा जोकि एक वर्ष के लिए वैध होगी तथा समय-समय पर ऐसे सभी देयों की निकासी तक नवीकरण योग्य होगी।
16. आवेदक कंपनी या लाइसेंस धारक, जैसा भी मामला हो, के नाम में परिवर्तन के लिए कंपनी अधिनियम 1956 में निहित उपबंधों के अनुसार अनुमति प्रदान की जाएगी।
17. जहां तक संभव हो इस आवेदन पर प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर निर्णय लिया जाएगा। आवेदक कंपनी को तदनुसार सूचित किया जाएगा। यदि आवेदक लंबी दूरी राष्ट्रीय (एनएलडी) सेवा के लिए अर्ह पाया गया तो आवेदक से अपेक्षा होगी कि वह अप्रति देय प्रवेश शुल्क (कम से कम सामान्य इक्विटी का 10%) जमा करे और बैंक गारंटी/तथा आवेदक कंपनी या भागीदारों और प्रवर्तकों या सहयोगी/संबद्ध कंपनियों को प्रदान किए गए किसी लाइसेंस के बकाया राशि के संबंध में बेबाकी प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करे और पत्र जारी होने के तीन माह के भीतर तत्काल लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करे ऐसा न किए जाने पर यह मान लिया जाएगा कि आवेदक अब इच्छुक नहीं है और वह आवेदन निरस्त हो जाएगा।
18. यदि आवेदक एनएलडी सेवा हेतु लाइसेंस प्रदान करने हेतु अर्ह नहीं पाया जाता है तो इस आवेदक को तदनुसार सूचित किया जाएगा, जिसके पश्चात वह कमियों को दूर करते हुए नया आवेदन दे सकता है।
19. राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) सेवा का तात्पर्य लंबी दूरी पर स्विच दूरसंचार सेवाओं के संवहन करने से है। एनएलडी सेवा प्रचालकों को उस स्थिति के अलावा जहां प्रारंभिक सेवा प्रदाता के साथ ऐसे परियात के संवहन के लिए पारस्परिक सहमति पर करार हुआ है अंतरा-सर्किल परियात के संवहन को छोड़कर अंतः सर्किल परियात का अधिकार होगा। राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा के लाइसेंसधारक लंबी दूरी प्रभारण और अल्पदूरी प्रभारण केंद्र के बीच के भाग पर परियात संवहन की व्यवस्था पारस्परिक सहमति के आधार पर कर सकते हैं।
20. एनएलडी सेवा लाइसेंसधारक को अंतिम छोर के लिए अभिगम प्रदाताओं के साथ पट्टेशुदा लाइनों के लिए यथोचित व्यवस्थाएं/करार करने की अपेक्षा होगी। इसके अतिरिक्त, एनएलडी सेवा प्रदाता केवल पट्टे के सर्किट/क्लोज यूजर ग्रुप (सीयूजी) प्रदान करने के लिए उपभोक्ताओं से सीधा अभिगम कर सकते हैं। पट्टेशुदा सर्किट को प्वाइंट टु प्वाइंट वास्तविक गैर-स्विच कनेक्शन/ट्रांसमिशन बैंडविड्थ के अतिरिक्त सर्किट अथवा पैकेट स्विच (आईपी प्रोटोकॉल) प्रौद्योगिकी को प्रयोग करने वाले वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के रूप में परिभाषित किया गया है। सार्वजनिक नेटवर्क पट्टे के सर्किटों/सीयूजी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि एनएलडी सेवा लाइसेंसधारक अन्य दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारकों को भी बैंडविड्थ प्रदान कर सकता है।
21. लाइसेंस धारक (जो अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी, राष्ट्रीय लंबी दूरी, बुनियादी अथवा सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रचालक है) आईएलडी/एनएलडी/सेल्यूलर/बुनियादी सेवाओं के प्रचालनात्मक निष्पादन के लिए एक ही स्विच रख सकते हैं बशर्ते यह स्विच एक ही स्थान पर अवस्थित हो और अलग-अलग सेवाओं के बीच लागतों का विभाजन करते हुए सभी प्रचालनों के लिए

- पृथक लेखे रखे जाएं। पृथक ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज (टीएएक्स) और गेट वे स्विच अनिवार्य नहीं हैं। आईएलडी सेवा प्रदाताओं को अपने आईएलडी नेटवर्क को चलाने के लिए स्विचड सर्किट या व्यवस्थित पैकेट स्विचड नेटवर्क लगाने की अनुमति दी गई है।
22. भारत के भीतर विभिन्न सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के साथ अंतरसंयोजन दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र (टीईसी) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सीसीएस 7 के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। भारत के भीतर विभिन्न सेवा प्रदाताओं के पैकेट स्विचड नेटवर्क के साथ अंतर संयोजन के लिए संगत राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन किया जाएगा। एनएलडी सेवा लाइसेंसधारक के सर्किट स्विचड और वीओआईपी आधारित नेटवर्क और अभिगम सेवा लाइसेंसधारक के बीच अंतर संयोजन के लिए एनएलडी सेवा लाइसेंसधारक मीडिया गेटवे स्विच संस्थापित करेगा। अभिगम सेवा लाइसेंसधारक द्वारा इस प्रकार के स्विच को संस्थापित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
  23. एनएलडी प्रचालक लाइसेंसधारी अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर वार्तालाप के लिए उपयुक्त व्यवस्था बनाकर अंतरसंयोजन करार कर सकते हैं, जिसमें अंतर संयोजित नेटवर्क निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा :
    - (क) अपनी आवश्यक प्रणालियों को अंतरसंयोजित करने तथा अंतरसंयोजन को बनाए रखने के लिए।
    - (ख) आवश्यक प्रणालियों के माध्यम से संदेशों को पारेषण और प्राप्त करने की पर्याप्त क्षमता और पर्याप्त संख्या में यथा अपेक्षित एक या अधिक अंतरसंयोजन बिंदुओं की स्थापना और रखरखाव
    - (ग) अंतरसंयोजित प्रणालियों के बीच संदेशों के पारेषण और प्राप्त करने संबंधी युक्ति संगत मांग को पूरा करने के लिए।
  24. मानक इंटरफेस, अंतरसंयोजन बिंदुओं सहित अंतरसंयोजन की निबंधन और शर्तें तथा तकनीकी पहलू सेवा प्रदाताओं के आपसी करार के अनुरूप होंगे।
  25. एनएलडी सेवा लाइसेंसधारी सेवा प्रदान करने के लिए अपना उपस्कर संस्थापित करेगा जोकि अन्य सेवाप्रदाता/अभिगम प्रदाता के उपस्कर के अनुकूल होगा जिससे एनएलडी सेवा लाइसेंस की प्रणालियों को अंतरसंयोजन के लिए जोड़ा जाना है।
  26. एनएलडी सेवा लाइसेंसधारी टीआरएआई द्वारा टीआरएआई अधिनियम 1997 के तहत जारी किए गए किसी भी अंतरसंयोजन विनियम का अनुपालन करेगा।
  27. एनएलडी लाइसेंसधारी नेटवर्क-नेटवर्क इंटरफेस के संबंध में सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्परिक रूप से सहमत सेवा गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप लाइसेंसशुदा नेटवर्क का प्रचालन और रखरखाव करेगा।
  28. अन्य नेटवर्कों के साथ अभिगम अथवा अंतरसंयोजन प्रभार सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्परिक करारों पर आधारित टीआरएआई द्वारा समय-समय पर टीआरएआई अधिनियम 1997 के तहत जारी प्रतिबंधों के अधीन होंगे।
  29. अंतरसंयोजन नेटवर्कों के उन्नयन/आशोधन की लागत सहित सेवा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नेटवर्क संसाधन अंतरसंयोजन लेने वाले सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तथापि, सेवा प्रदाताओं के बीच अंतरसंयोजन नेटवर्कों के उन्नयन/आशोधन की लागत की साझेदारी की व्यवस्था के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच मोल-भाव करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
  30. बुनियादी सेवा प्रदाताओं, सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं एकीकृत अभिगम सेवा प्रदाताओं और केबल सेवा प्रदाताओं के लिए एनएलडी सेवा प्रदाताओं को अंतरसंयोजन प्रदान करना बाध्यकारी होगा जिससे उपभोक्ता को एनएलडी सेवा प्रदाता के माध्यम से अंतःसर्किल/लंबी दूरी कॉल करने का खुला विकल्प हो।

31. एनएलडी सेवा प्रदाता किसी भी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति या अन्य लाइसेंसधारी (जिसमें वे अन्य सेवा प्रदाता भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय तार अधिनियम 1885 के खंड 4 के तहत लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है) जिनका लाइसेंस समाप्त किया गया है, निलंबित किया गया है या किसी समय विशेष पर प्रचालनरत नहीं है, के कनेक्टिविटी अथवा उसी किस्म की सेवा की अनुमति नहीं देगा। किसी भी कनेक्टिविटी के पहले ही दिए जाने की स्थिति में, एनएलडी सेवा प्रदाता को बिना किसी समय गंवाए यह कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट अथवा बाधित करनी होगी और इसके अतिरिक्त लाइसेंसप्रदाता से कोई संदर्भ प्राप्त होने पर इस प्रकार के संदर्भ के प्राप्त होने के एक घंटे के भीतर यह डिस्कनेक्शन प्रभारी होना चाहिए। एनएलडी सेवा लाइसेंसधारक लाइसेंसप्रदाता को ऐसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं या तीसरे पक्ष के क्षतिपूर्ति के दावों से सुरक्षित बनाए रखेगा। डिस्कनेक्शन के प्रश्न पर लाइसेंसप्रदाता का निर्णय अंतिम होगा।
32. लाइसेंसप्रदाता को लाइसेंस के निबंधन और शर्तों को किसी भी समय आशोधन करने का अधिकार है, यदि लाइसेंस प्रदाता के विचार में ऐसा करना जन हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, अथवा सेवा के उपयुक्त संचालन के दृष्टिगत आवश्यक है। इस संबंध में लाइसेंसप्रदाता का निर्णय अंतिम होगा।
33. लाइसेंसप्रदाता को किसी भी समय लाइसेंस के प्रचालन को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित करने का अधिकार है, यदि लाइसेंसप्रदाता के विचार में ऐसा करना जनहित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अथवा सेवा के उपयुक्त संचालन के दृष्टिगत आवश्यक है। लाइसेंसप्रदाता को खंड 12 के तहत देय लाइसेंस शुल्क का भुगतान उस अवधि के लिए नहीं किया जाएगा जिसमें प्रचालन पूर्णरूप से निलंबित रहा हो।
34. लाइसेंसप्रदाता लाइसेंसधारी को एनएलडी सेवा लाइसेंस की किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर किसी अन्य उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना उसके पंजीकृत कार्यालय को जारी 60 दिन के लिखित नोटिस द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में इस लाइसेंस को समाप्त कर सकता है :
- (क) लाइसेंस में विनिर्दिष्ट समयावधि(यों) पर प्रचालन प्रारंभ करने सेवा प्रदान करने में असफल रहने पर।
- (ख) लाइसेंसप्रदाता को शुल्क और अन्य देयों के समयानुसार भुगतान सहित लाइसेंस के तहत किसी दायित्व (दायित्वों) का निष्पादन न करना।
- (ग) लाइसेंसधारी को लाइसेंसप्रदाता द्वारा बताई गई किसी कमी/त्रुटि में सुधार न करना।
- (घ) परिसमापन होना या बंद (काम) करने के आदेश मिलने पर।
- (ङ) लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुपालन न करने पर द्वाँई द्वारा लाइसेंस समाप्त करने की सिफारिश किए जाने पर।
- (च) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों का अनुपालन न करने पर।
35. लाइसेंसप्रदाता के पास जनहित में 60 दिन के नोटिस देने पर लाइसेंस का प्रतिसंहरण करने का अधिकार सुरक्षित है।
36. एनएलडी सेवा लाइसेंस भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 समय-समय पर यथा संशोधित व उनके प्रतिस्थापन पर किसी अन्य व्यवस्था के प्रावधानों से शासी होगी।
37. एनएलडी सेवा लाइसेंसधारी समय की मांग के अनुसार (जब कभी भी आवश्यक हो) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के खंड 5(2) के प्रावधानों के अनुप्रयोग के लिए

- अपेक्षित सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। एनएलडी लाइसेंस करार में उल्लिखित कोई भी सामग्री भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 या किसी भी प्रभावी कानून के प्रावधानों के तहत उल्लिखित किसी की सामग्री को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी।
38. एनएलडी सेवा प्रदाता को स्थिति विशेष के अनुसार जासूसी, तोड़फोड़, विध्वंस या किसी अन्य गैर-कानूनी कार्यवाही का प्रतिकार करने के लिए सही समय पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। लाइसेंसधारी द्वारा पट्टे पर दिए गए सर्किटों के ब्योरे मासिक आधार पर वरिष्ठ उप महानिदेशक (सत0) संचार भवन नई दिल्ली तथा सुरक्षा एजेंसियों को प्रदान करने होंगे।
  39. एनएलडी सेवा लाइसेंसधारक लाइसेंसप्रदाता द्वारा अधिकृत एजेंसियों को स्विचन केंद्रों, पारेषण केंद्रों, रूट इत्यादि की तकनीकी सुरक्षा और निरीक्षण जो दृष्टिक जांच अथवा प्रचालनात्मक निरीक्षण हो सकता है के लिए पूर्ण अभिगम उपलब्ध कराएगा।
  40. एनएलडी सेवाप्रदाता द्वारा लाइसेंसधारक के नेटवर्क के संस्थापन, प्रचालन और अनुक्षण के लिए नियोजित किए जाने वाले प्रत्याशित विदेशियों को उनके नियोजन से पूर्व भारत सरकार द्वारा सुरक्षा निकासी प्राप्त होनी चाहिए। यह सुरक्षा निकासी गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त की जाएगी।
  41. एनएलडी सेवा लाइसेंसधारक संप्रेषण की निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि संदेशों का अनाधिकृत अंतरावरोधन न हो।
  42. लाइसेंसप्रदाता को जनहित में जारी निदेश, यदि कोई हो, के अनुसार या आपात स्थिति, छोटे स्तर के युद्ध या इसी प्रकार की स्थिति या किसी अन्य घटनाक्रम की स्थिति में एनएलडी सेवा लाइसेंसधारक की संपूर्ण सेवाओं, उपकरणों और नेटवर्कों को अधिग्रहण करने अथवा पूरे या आंशिक सेवा क्षेत्र के एनएलडी सेवा लाइसेंस को खंडित/समाप्त/निलंबित करने का अधिकार होगा। बशर्ते ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी किए गए कोई विशेष आदेश या निदेश लाइसेंसधारक पर लागू हों और उनका शक्ति से अनुपालन किया जाए। इसके अलावा लाइसेंसप्रदाता के पास सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं के निहितार्थ किसी भी क्षेत्र को एनएलडी सेवा क्षेत्र के बाहर रखने का अधिकार सुरक्षित है और एनएलडी लाइसेंसधारक को इन निदेशों का पालन बिना किसी कम से कम अतिक्रम के करना होगा।
  43. लाइसेंसप्रदाता के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के हित और जनहित में आवश्यक समझे जाने पर इन शर्तों का आशोधन करने तथा नई शर्तों को शामिल करने का अधिकार सुरक्षित है।
  44. एनएलडी सेवा लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा किया गया दूरसंचार संस्थापन सुरक्षा संबंधी संकट नहीं बनना चाहिए और किसी कानून, नियम अथवा विनियम और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं है।
  45. एनएलडी सेवा लाइसेंसधारक एनएलडी सेवा लाइसेंस की शक्ति को लाइसेंस करार में परिभाषित की गई सेवा के अलावा किसी अन्य सेवा प्रदान करने में नहीं लगाएगा।
  46. एनएलडी सेवा लाइसेंसधारक अपने नेटवर्क और उपकरण के माध्यम से संवहन की गई अभद्र, आपत्तिजनक या विद्वेषमूलक कॉलों, संदेशों या संप्रेषणों का पता लगाने हेतु पता लगाने की सुविधा अविलंब प्रदान करने के लिए बाध्य होगा। इस संबंध में एनएलडी सेवा लाइसेंसधारक की ओर से होने वाली चूक से होने वाली क्षति का भुगतान एनएलडी सेवा लाइसेंसधारक द्वारा किया जाएगा।
  47. लाइसेंसप्रदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को एनएलडी सेवा प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थलोंका निरीक्षण करने का अधिकार होगा और विशेष रूप से पट्टे पर दी गई लाइनों, जंक्शनों, समापन इंटरफेसों, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, सेमीकंडक्टरों की मैमोरीयों, चुंबकीय और आप्टिकल साधनों, तार या बेतार विकल्पों, वितरण ढांचों पर अभिगम तथा निष्पादन जांच के संचालन सहित इनपुट/आउटपुट युक्तियों या टर्मिनल के माध्यम से

प्रणालियों के साथ अनुक्रिया करने का अधिकार होगा किंतु यह यहीं तक सीमित नहीं होगा। एनएलडी लाइसेंसधारक सिस्टम की निरंतर निगरानी के लिए लाइसेंसप्रदाता अथवा उसके प्रतिनिधि की अपेक्षानुसार आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। उन परिस्थितियों को छोड़कर जहां नोटिस देना निरीक्षण के उद्देश्य के विरुद्ध हो, यह निरीक्षण सामान्य रूप से तर्क संगत नोटिस देने के पश्चात किया जाएगा।

48. आवेदक कंपनी ओवदन के साथ वेतन एवं लेखा अधिकारी (मुख्यालय) दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली के नाम से डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 15000/- रु0 प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करेगी जो किसी भी स्थिति में अप्रतिदेय होगी।
49. एनएलडी प्रचालन लाइसेंस के लिए लागू होने वाले विस्तृत निबंधन और शर्तें मसौदा लाइसेंस करार में दी गई हैं।
50. आवेदन अनुभाग अधिकारी, बीएस-I, दूरसंचार विभाग, कमरा सं0 1119, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को प्रस्तुत किया जाएगा।

(आर0के0 गुप्ता)

सहायक महानिदेशक(बीएस-III)  
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा/की ओर से

भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
दूरसंचार विभाग  
(बी.एस प्रकोष्ठ)  
संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001  
\*\*\*\*\*

**राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) सेवा के प्रचालन के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन।**

1. आवेदक कंपनी का नाम .....

2. टेलीफोन/फैक्स नं०/ई-मेल सहित  
संपूर्ण डाक पता .....

(i) निगमित कार्यालय .....

(ii) पंजीकृत कार्यालय .....

3. अधिकृत संपर्क व्यक्ति का नाम .....

4. प्रक्रिया शुल्क का ब्योरा  
(डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर अलग लिफाफे में संलग्न किया जाए)

5. पंजीकरण का साक्ष्य  
(कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत  
अनुप्रमाणित पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)

6(क). प्रवर्तकों/भागीदारों/आवेदक  
कंपनी में 10% से अधिक प्रत्यक्ष  
और अप्रत्यक्ष इक्विटीधारक शेयरधारकों के नाम

<u>क्र०सं०</u>	<u>प्रवर्तक/भागीदार/शेयरधारक का नाम</u>	<u>भारतीय/विदेशी</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(ख) इक्विटी के ब्योरे

भारतीय

विदेशी

जोड़

-----  
-----

(कंपनी सचिव/कंपनी के सावंधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए)

7. आवेदक कंपनी का नेटवर्थ

(वार्षिक रिपोर्ट की प्रति या कंपनी सचिव कंपनी के सावंधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए)

8. भारतीय कंपनी और साझेदारों के बीच करार की प्रति, यदि लागू हो

9. विदेशी सहयोग के निबंधनों के संबध में सरकार के अनुमोदन की अनुप्रमाणित प्रति या प्रस्तुत करने के साक्ष्य के संबध में एसएआई/सरकार को प्रस्तुत किए गए आवेदन की प्रति

10. परियोजना के वित्त पोषण के लिए वित्त पोषण व्यवस्था के साथ व्यापार कार्य योजना का ब्योरा

11. निदेशक मंडल का संकल्प/अन्य साक्ष्य कि आवेदन को हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति अधिकृत हस्ताक्षरी है

11(क)	आवेदक कंपनी के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/निदेशकों के नाम	राष्ट्रीयता

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य तकनीकी अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी के ब्योरे

नाम	पदनाम	राष्ट्रीयता
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(ग) दिशानिर्देशों के खंड 5.6(iii) के अनुपालन हेतु कंपनी के संगम ज्ञापन के ब्योरे/पैरा सं०।

प्रमाण पत्र :

1. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा पर दिशानिर्देशों को ध्याम पूर्वक पढ़ लिया है और मैं उस में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन करने का वचन देता हूँ।
2. मैं समझता हूँ कि यदि यह आवेदन किसी भी संबंध में अपूर्ण पाया गया या अनुपालन संबंधी शर्त के साथ पाया गया अथवा प्रक्रिया शुल्क के बिना पाया जाएगा तो इसे सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जाएगा।
3. मैं समझता हूँ कि प्रक्रिया शुल्क अप्रतिदेय है, चाहे कुछ भी कारण हो।
4. मैं अधिसूचित समय पर लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने का वचन देता हूँ, जिसके न किए जाने पर मेरा आवेदन अस्वीकृत माना जाएगा।
5. मैं समझता हूँ कि इस आवेदन से संबंधित सभी मामले केवल दिल्ली/नई दिल्ली के न्यायालयों अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।
6. मैं समझता हूँ कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए यदि मेरा कोई कथन या प्रस्तुत की गई सूचना किसी भी समय गलत पाई गई तो मेरा आवेदन और लाइसेंस, यदि उस आवेदन के आधार प्रदान किया गया हो, निरस्त किया जाएगा।
7. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के भाग 4 (भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम सहित) के तहत आवेदक कंपनी या उसके प्रवर्तकों/साझेदारों या सहयोगी/सहायक(कंपनी) को जारी किए गए किसी भी लाइसेंस पर लगने वाले सभी देयों को मैंने अदा कर लिया है।

अधिकृत हस्ताक्षरी  
के हस्ताक्षर और नाम .....  
(कंपनी की मुहर)

दिनांक : .....

स्थान : .....

दूरसंचार सेवा क्षेत्र तथा उनके द्वारा कवर किए गए क्षेत्र

क्र०सं०	सर्किल का नाम	कवर किए गए क्षेत्र
01	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह **	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
02	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
03	असम	असम राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
04	बिहार	दिनांक 25 अगस्त, 2000 के बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (सं० 2000 का 30) के अनुसरण में नवनिर्मित झारखंड राज्य तथा पुनर्गठित बिहार राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
05	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्र
06	गुजरात	गुजरात राज्य तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र, सिल्वासा (दादर एवं नागर हवेली) के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
07	हरियाणा	हरियाणा राज्य के अंतर्गत पड़ने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
08	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
09	जम्मू एवं कश्मीर	लद्दाख के स्वायत्त परिषद सहित जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
10	कर्नाटक	कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
11	केरल	केरल राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र - लक्षद्वीप एवं मिनिक्ॉय के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
12	मध्य प्रदेश	दिनांक 25 अगस्त, 2000 के मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (सं० : 2000 का 28) के अनुसरण में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य तथा पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
13	महाराष्ट्र	मुम्बई महानगर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, गोवा संघ राज्य क्षेत्र तथा महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
14	पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्यों के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
15	उड़ीसा	उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
16	पंजाब	पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
17	राजस्थान	राजस्थान राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
18	तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य एवं पांडिचेरी और कराइकल संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
19	उत्तर प्रदेश-पश्चिम	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे समीपवर्ती निम्नलिखित जिले : पीलीभीत, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी एवं एटावाह। इसमें गाजियाबाद एवं नोएडा के स्थानीय टेलीफोन क्षेत्र शामिल नहीं होंगे। हालांकि, इसमें दिनांक 25 अगस्त, 2000 के उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000(सं० 2000 का 29) के अनुसरण में नवनिर्मित उत्तरांचल राज्य शामिल होगा।
20	उत्तर प्रदेश-पूर्व	पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे समीपवर्ती निम्नलिखित जिले : शाहजहांपुर, फरुखाबाद, कानपुर एवं जालौन।
21	पश्चिम बंगाल ***	पश्चिम बंगाल राज्य और सिक्किम राज्य के भीतर आने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र।

22	मुम्बई *	मुम्बई, नवीं मुम्बई एवं कल्याण टेलीफोन एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्र।
23	कोलकाता *	कोलकाता टेलीफोन्स के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्र।

- \* सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा तथा एकीकृत अभिगम सेवा के लिए विभिन्न सेवा क्षेत्र।
- \*\* सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस को पश्चिम बंगाल सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कवर किया गया है।
- \*\*\* कोलकाता सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के लिए पश्चिम बंगाल सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।
- \*\*\*\* सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के लिए सम्मिलित दिल्ली सेवा क्षेत्र के भाग के रूप में गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुडगाँव टेलीफोन एक्सचेंजों तक कवर किये गये क्षेत्र।
- पूर्वी गोदावरी एलडीसीए में आंध्र प्रदेश सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत येनुम, जो पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का एक क्षेत्र है, सेवा प्राप्त करता है।

लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्रों की सूची

क्र०सं०	परिमण्डल का नाम	एलडीसीए का नाम
1	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1. पोर्ट ब्लेयर
2	आंध्र प्रदेश	2. आदिलाबाद
		3. अनन्तपुर(गुन्टकल)
		4. चित्तूर
		5. कुडप्पा
		6. राजामुंदरी
		7. गुन्टूर
		8. हैदराबाद
		9. करीमनगर
		10. खम्मम
		11. विजयवाड़ा
		12. कुरनूल
		13. महबूबनगर
		14. संगारेड्डी
		15. नलगोंडा
		16. नेल्लोर
		17. निजामाबाद
		18. अंगोले
		19. श्रीकाकुलम
		20. विजयनगरम
		21. विशाखापट्टनम
		22. वारंगल
		23. ईलूरु
3	असम	24. तिनसुकिया (डिब्रूगढ़)
		25. गुवाहाटी
		26. जोरहार
		27. बोंगाईगांव(कोकराझार)
		28. नौगांवों
		29. सिलचर
		30. तेजपुर
4	बिहार	31. आरा
		32. भागलपुर
		33. छपरा
		34. डाल्टनगंज
		35. दरभंगा
		36. देवघर
		37. धनबाद
		38. गया

		39.	हजारीबाग
		40.	जमशेदपुर
		41.	कटिहार
		42.	मुंगेर
		43.	मोतीहारी
		44.	मुजफ्फरपुर
		45.	पटना
		46.	रांची
		47.	सहरसा
		48.	ससाराम
5	गुजरात	49.	अहमदाबाद
		50.	अमरेली
		51.	भरुच
		52.	भावनगर
		53.	भुज
		54.	गोधरा
		55.	हिम्मतनगर
		56.	जामनगर
		57.	जुनागढ़
		58.	मेहसाना
		59.	नाडिआड
		60.	पालनपुर
		61.	राजकोट
		62.	सूरत
		63.	सुरेन्द्रनगर
		64.	वडोदरा
		65.	वलसाड़
6	हिमाचल प्रदेश	66.	हमीरपुर
		67.	कांगडा(धर्मशाला)
		68.	कुल्लू
		69.	मण्डी
		70.	शिमला
		71.	सोलन
7	हरियाणा	72.	अम्बला
		73.	गुडगांव
		74.	हिसार
		75.	जींद
		76.	करनाल
		77.	नारनौल
		78.	रोहतक
		79.	सोनीपत

8	जम्मू और कश्मीर	80.	जम्मू
		81.	लेह
		82.	राजौरी
		83.	श्रीनगर
		84.	उधमपुर
9	केरल	85.	अलेप्पी
		86.	कन्नोनूर
		87.	अरनाकुलम
		88.	कवरत्ती
		89.	कोट्टायम
		90.	कालीकट(कोजीकोडे)
		91.	पालघाट
		92.	कुइलोन
		93.	तिरुवल्ला
		94.	त्रिचुर
		95.	त्रिवेन्द्रम
10	कर्नाटक	96.	बेंगलूरु
		97.	बेलगांव
		98.	बेल्लारी
		99.	बीदर
		100.	बिजापुर
		101.	चिकमंगलूर
		102.	दवणगेरे
		103.	गुलबर्गा
		104.	हासन
		105.	हुबली
		106.	उत्तरी कन्नडा (कारवाड)
		107.	कोलार
		108.	मांडया
		109.	दक्षिण कन्नडा(मंगलौर)
		110.	कोडागू (माडीकेरी)
		111.	मैसूर
		112.	सिमोगा
		113.	रायचूर
		114.	तुमकुर
11	महाराष्ट्र	115.	अहमदनगर
		116.	अकोला
		117.	अमरावती
		118.	औरंगाबाद
		119.	बंडारा
		120.	भीर
		121.	मुंबई

		122.	बुल्डाना
		123.	चंदरपुर
		124.	धुलिया
		125.	गढ़चिरौली
		126.	जलगांव
		127.	जालना
		128.	कल्याण
		129.	कोल्हापुर
		130.	कुडाल
		131.	लाटूर
		132.	नागपुर
		133.	नांदेड़
		134.	नासिक
		135.	उस्मानाबाद
		136.	पणजी
		137.	परभनी
		138.	पेन
		139.	पुणे
		140.	रत्नागिरी
		141.	सांगली
		142.	सतारा
		143.	सोलापुर
		144.	वर्धा
		145.	यवतमाल
12	मध्य प्रदेश	146.	सरगुजा(अम्बिकापुर)
		147.	बालाघाट
		148.	बेतुल
		149.	भोपाल
		150.	बिलासपुर
		151.	छत्रपुर
		152.	छिन्दवाड़ा
		153.	दामोह
		154.	देवास
		155.	धार
		156.	दुर्ग
		157.	गुना
		158.	ग्वालियर
		159.	इन्दौर
		160.	इटारसी
		161.	जबलपुर
		162.	जगदलपुर
		163.	झबुआ

		164.	खंडवा
		165.	खरगांव
		166.	मांडला
		167.	मन्दसौर
		168.	मुरैना
		169.	नरसिंहपुर
		170.	पन्ना
		171.	रायगढ़
		172.	रायपुर
		173.	रायसेन
		174.	राजगढ़
		175.	रतलाम
		176.	रीवा
		177.	सागर
		178.	सतना
		179.	सिवनी
		180.	शाहडोल
		181.	शाजापुर
		182.	शिवपुरी
		183.	सिधी
		184.	उज्जैन
		185.	विदिशा
13	उत्तर-पूर्व	186.	त्रिपुरा(अगरतला)
		187.	मिजोरम(अइजवाल)
		188.	मणीपुर(इम्फाल)
		189.	नागालैण्ड(कोहिमा)
		190.	मेघालय(शिलाँग)
		191.	अरुणाचल प्रदेश(जिरो)
14	उड़ीसा	192.	बालासोर
		193.	बारीपाडा
		194.	बेहरामपुर
		195.	भवानीपटना
		196.	भुवनेश्वर(पुरी)
		197.	बोलंगिर
		198.	कटक
		199.	देकनाल
		200.	कोरापुट
		201.	फुलवानी
		202.	सुन्दरगढ(राउरकेला)
		203.	सम्भलपवुर

15	पंजाब	204.	अमृतसर		
		205.	बढिडा		
		206.	चण्डीगढ़		
		207.	फिरोजपुर		
		208.	होशियारपुर		
		209.	जालन्धर		
		210.	लुधियाना		
		211.	पठानकोट		
		212.	पटियाला		
		213.	रोपड़		
		214.	संगरूर		
		16	राजस्थान	215.	अजमेर
				216.	अलवर
				217.	बांसवाड़ा
218.	बाड़मेर				
219.	भरतपुर				
220.	भीलवाड़ा				
221.	बीकानेर				
222.	बुन्दी				
223.	चित्तौड़गढ़				
224.	चुरू				
225.	जयपुर				
226.	जसलमेर				
227.	झालावाड़				
228.	झुन्झनूं				
229.	जोधपुर				
230.	कोटा				
231.	नागपुर				
232.	पाली (मारवाड़)				
233.	सवाईमाधोपुर				
234.	सिकर				
235.	सिरोही				
236.	श्रीगंगानगर				
237.	टोंक				
238.	उदयपुर				
17	तमिलनाडु	239.	चेन्नै		
		240.	कोयमबटूर		
		241.	कुड्डालोर		
		242.	धर्मापुरी		
		243.	इरोड		
		244.	चिन्गलपेट(कांचीपुरम)		
		245.	करईकुडी		

		246. मदुरई
		247. नागरकोईल
		248. ऊटी
		249. पोंडिचेरी
		250. सालेम
		251. तंजावुर
		252. तिरुनेलवेली
		253. त्रिची
		254. ट्यूटीकोरिन
		255. वेल्लोर
		256. विरूदुनगर
18	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	257. इलाहाबाद
		258. आजमगढ़
		259. बहराइच
		260. बलिया
		261. बांदा
		262. बाराबंकी
		263. बस्ती
		264. देवरिया
		265. इटावा
		266. फैजाबाद
		267. फरूखाबाद
		268. फतेहपुर
		269. गाजीपुर
		270. गोंडा
		271. गोरखपुर
		272. हमीरपुर
		273. हल्द्वानी
		274. जौनपुर
		275. झांसी
		276. कानपुर
		277. खेरी
		278. लखनऊ
		279. मैनपुरी
		280. मिर्जापुर
		281. उरई
		282. प्रतापगढ़
		283. रायबरेली
		284. शाहजहाँपुर
		285. सीतापुर
		286. सुल्तानपुर
		287. उन्नाव

		288.	वाराणसी
19	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	289.	आगरा
		290.	अलीगढ़
		291.	अल्मोड़ा
		292.	बदायूं
		293.	बरेली
		294.	बिजनौर
		295.	कोटद्वार
		296.	देहरादून
		297.	एटा
		298.	गाजियाबाद
		299.	मथुरा
		300.	मेरठ
		301.	मुरादाबाद
		302.	मुजफ्फरनगर
		303.	नैनीताल
		304.	पीलीभीत
		305.	रामपुर
306.	सहारनपुर		
307.	उत्तरकाशी		
20	पश्चिम बंगाल	308.	आसनसोल
		309.	बांकुरा
		310.	बेहरामपुर
		311.	कोलकाता
		312.	कूचबिहार
		313.	गंगटोक
		314.	जलपाईगुड़ी
		315.	मिदनापुर(खडगपुर)
		316.	क्रिसनगर
		317.	माल्दा
		318.	पुरूलिया
		319.	बालुरघाट(रायगंज)
		320.	दार्जिलिंग(सिलीगुड़ी)
		321.	सुरी
21	महानगर	322.	दिल्ली
			कोलकाता *
			चेन्नै *
			मुंबई *

\* ये महानगर, जैसा कि संलग्नक -I में भी दिखाया गया है उनके अपने-अपने दूरसंचार परिमण्डलों के हिस्से हैं। कोलकाता और मुंबई को एकीकृत अभिगम सेवाओं तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के संबंध में अलग-अलग सेवा क्षेत्रों के रूप में समझा जाता है।